# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 15/80/18 | 31–07–2018 | 09–10–2018 |

1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना तिजारा,जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. सगीर पुत्र सलेम जाति मेव व हसनदीन उर्फ भोलू पुत्र हमीद जाति कुरैशी निवासी ढाकपुरी थाना तिजारा जिला अलवर राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 जप्तशुदा ऊंट के निस्तारण बाबत।

उपस्थितः–

01. श्री लेखराम –वकील (प्रार्थी सुपुर्ददार)

::––निर्णय––::

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर द्वारा एफ0आई0आर0 नम्बर 374/2018 अन्तर्गत धारा 5, 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 में जब्त शुदा नग 25 छोटे–बडे ऊंट को सुपुदर्गी में दिये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

थानाधिकारी पुलिस थाना, तिजारा जिला अलवर ने अपने पत्रांक 5263 दिनांक 07–08–2018 द्वारा अवगत कराया है कि थाना हाजा पर दर्ज एफ0आई0आर नम्बर 374/2018 अन्तर्गत धारा 5 , 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 के अनुसार दिनांक 08.06.2018 को एएसआई रामफूल मय कानि0 हाकम 1637, कानि0 सुन्दर 400, मय जीप सरकारी चालक रामबीर 931 गश्त व चैकिंग बदमाशान ईलाका थाना रवाना होकर गस्त करता हुआ टोल नाका तिजारा पहुंचा तो मुखबिर खास सूचना मिली कि मेवात क्षेत्र में रमजान के महीने में ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है एवं इसके बदले मोटी रकम वसूल की जाती है, बडा खां व भोलु खां पुत्रान हमीद कसाई निवासी ढाकपुरी व 5–6 अन्य व्यक्ति 20–25 ऊंटों को फुल्लावास भुसैपुर के जंगलों में पहाडी की तलहटी में रोक रखा है एवं ऊंटों के पांव बाध रखे है जो कुछ समय बाद अंधेरा होने पर ऊंटों की तस्करी कर वध करने के लिय हरियाणा की तरफ निकलने की फिराक में है। उक्त सूचना से एएसआई ने हमराह मुलाजमानों को

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

अवगत कराया एवं सिगमा ड्यूटी पर तैनात कानि0 रमेश 786 को लेकर मय जाप्ता रवाना होकर गांव फुल्लावास मुरैपुर के जंगल में होते हुए पहाडी की तलहटी में पहुचें तो 7–8 व्यक्ति दिखाई दिये जो बावर्दी पुलिस को देखकर पहाडों का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हुऐं। बीट कानि0 रमेश ने मुल्जिम बडाखां, भोलू खां पुत्रान हमीद कसाई एवं मिट्ठन पुत्र सुफेदा, सगीर पुत्र सलेम खां निवासीयान ढाकपुरी की पहचालन की व अन्य 3–4 व्यक्ति फुल्लावास निवासी होना बताया। एएसआई ने मय जाप्ता के ऊंटों की गिनती की तो कुल छोटे बडे 25 ऊंट मिलें। मुल्जिमान का कृत्य ऊंटों को वध करने के प्रयोजन से राजस्थान की सीमा से बाहर निर्यात करना अपराध धारा 5 , 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 के वकू में आना पाया गया। मौके पर कुल छोटे बडें 25 ऊंट मिले जिनमें से कुछ ऊंट के अगलें दोनों पांव रस्सी से बधे हुए थे ऊंटों की पावों में से रस्सी को खोलकर ही 25 उपस्थित मोतबिरान के समक्ष जरिये फर्द जब्त कियें और रा0उ0मा0वि0 तिजारा के स्कूल मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से ऊटों को रखा जाकर हमराह मुलाजमान में से दो कानि0 को ऊटों की निगरानी वास्ते तैनात किया गया। और चोटग्रस्त ऊटों को मेडिकल मुआयना पृथक से कराया गया। ध्यान फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गौशाला गावं बडोदिया थाना मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण के सुपरवाईजर श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर 25 ऊटों अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया जाकर मय हिदायत रूकसत किया गया है। तफतीश मुल्जिमान सगीर, हसनदीन उर्फ भोलू, अंसार उर्फ मिट्ठन एवं आस मोहम्मद उर्फ बडा के विरूद्व जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाकर मुल्जिमान को उप कारागृह किशनगढबास में दाखिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुल्जिमान 1 सगीर पुत्र सलेम जाति में, 2 हसनदीप उर्फ भोलू पुत्र हमीद जाति कुरेशी मेव 3 अंसार उर्फ मिट्ठन पुत्र श्री सुफेदा जाति मेव 4 आस मोहम्मद उर्फ बडा पुत्र हमीद जाति कुरैशी मेव निवासीयान ढाकपुरी थाना तिजारा जिला अलवर के विरूद्व अपराध धारा 5 , 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 का जुर्म प्रमाणित पाया जानें पर चार्जशीट नं0 397/18 दिनांक 31.07.18 के तहत चालानी आदेश अति0 पुलिस अधीक्षक भिवाडी से प्राप्त किये गये, मुल्जिमान वर जमानत न्यायालय है। प्रकरण में शीध्र ही चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा।

सगीर पुत्र सलेम जाति मेव व हसनदीप उर्फ भोलू पुत्र हमीद जाति कुरैशी निवासी ढाकपुरी थाना तिजारा जिला अलवर ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जब्तशुदा 25 छोटे–बडे ऊंट मुकामी पुलिस द्वारा जब्त किए गए है, जिनका प्रार्थीगण मालिक है। प्रार्थीगण पशु पालक है तथा ऊंटों को पालते है ऊंटों को पास के जंगल में चरा रहे थे। पुलिस

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

द्वारा झूठा मुकदमा बनाकर बेजा तौर पर जब्त किये गये है। प्रकरण मे अनुसंधान व निस्तारण मुकदमा में समय लगेगा तथा उक्त ऊंटों में छोटे तथा कुछ व्यावण ऊटनी भी है। इसलिए उक्त ऊटों को प्रार्थीगण को ताफैसला सुपुर्दनामा पर दिया जावें। जब्त रहने से उनके बीमार होने तथा पर्याप्त खाना खुराक न मिलने के कारण मरने का संभावना है। प्रार्थीगण दौराने मुकदमा उक्त ऊटों को वर्तमान स्वरूप में रखेगें किसी प्रकार खुर्दबुर्द हस्तांतरण भारग्रस्त आदि नही करेगें। अतः जब्त रहने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। इसलिए उक्त जब्तशुदा ऊटो को सुपुर्दनामा पर दिये जाने के आदेश प्रदान करें। अपने कथन की पुष्टी में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रूपबास पं0स0 तिजारा, ग्राम पंचायत फुल्लावास पं0स0 तिजारा का पेश किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी सुपुर्ददार की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा विचार किया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन विधेयक, 2015 की धारा 7 (1) में स्पष्ट गया गया है कि "जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऊंट की अभिरक्षा, मामले का अंतिक निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को सौंपी जा सकेगी–परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी नही हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहें।"

उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक जप्तशुदा ऊंटों को प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा खारिज किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर से प्राप्त पत्र के आधार पर राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन विधेयक, 2015 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा ऊंटों को ध्यान फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गौशाला गावं बडोदिया थाना मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त ऊंटों अधिक मात्रा में हो तो उक्त ऊंटों अन्य किसी नजदीकी एजेन्सी को सुपुदर्गी में दिये जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 09–10–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner